परिस्थितियों में, काश्तकारों को देय अफीम के मूल्य में वृद्धि कर पाना मुमकिन नहीं है।

Setting up of a National Bank for Agriculture and Rural Development

783. SHRI AMARSINH RATHAWA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Expert Committee set up by the Reserve Bank to go into the setting up of a Naional Bank for Agriculture and Rural Development has submitted its report;

(b) if so, the broad outlines of the recommendations made by the Committee; and

(c) the reaction of the Government in regard thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) to (c). Yes Sir, The Committee appointed by the Reserve Bank of India under the chairmanship of Sh. B. Sivaraman to undertake review of the institutional arrangements for rural credit, has submitted an interim report to RBI on 28-11-79 in which it has recommended the setting up of a National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD). The Government has agreed in principle to set up the said Bank. The necessary legislation is under the consideration of Government.

जाली करेंसी नोट बनाने वाले गिरोह

784. **श्री हीरा लाल आर० परमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जाली करेंसी नोट बनाने वाले गिरोहों की बढ़ती हुई संख्या की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो ऐसे गिरोहों की गतिविधियां समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ख) जनवरी, 1980 से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि में ऐसे कितने गिरोह पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख). केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी 1980 से अक्तूबर, 1980 की अवधि के दौरान जाली करेंसी नोट छापने का काम करने वाले केवल दो गैंगों की रिपोर्ट मिली है। इन में से एक मामले का पता पंजाब पुलिस ने लगाया था जिसमें छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले को पुलिस स्टेशन संख्या 3, लुधियाना में दर्ज किया गया है। दूसरे मामले का पता दिल्ली पुलिस ने लगाया था जिसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और मामला दर्ज कर लिया गया है। इन दोनों मामलों की जांच में प्रगति हो रही है और अपराधियों के साथ देश के कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

उपर्युक्त दो मामले होने से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जालसाजी की घृणित और गैर-कानूनी गतिविधियों में वृद्धि हो रही है।

कानून में जालसाजी से सम्बन्धित अपराधों के लिए निवारक दण्ड की व्यवस्था है। राज्य के पुलिस अधिकारी इस सम्बन्ध में लगातार चौकसी रखते हैं और किसी व्यक्ति द्वारा जालसाजी के बारे में कोई सूचना मिलने पर छापे आयोजित करते हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आर्थिक अपराध संघ में जाल साजी के गंभीर अपराधों की जांच करने

और राज्यों में की जा रही जांच के समन्वय के लिए एक 'सेल' बनाया गया है।

अरुणाचल प्रदेश में खनिज निक्षेप

785. श्री होरा लाल आर० परमार :
श्री केशव राव पारधी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरूणाचल प्रदेश में बहुत से खनिज निक्षेप सरकार के नोटिस में आए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से खनिजों का पता चला है, इन खनिजों की अनुमानित मात्रा क्या है और इन खनिजों के विभिन्न उपयोग क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) अरूणाचल प्रदेश में अब तक पाये जाने वाले मुख्य खनिज हैं —चूना-पत्थर, डोलोमाइट और कोयला। इसके अलावा ग्रेफाइट, ब्राइन और सल्फाइड के खनिजीकरण की भी जानकारी मिली है।

धमन भट्टी ग्रेड चूना पत्थर का 500 लाख टन भंडार होने का अनुमान है। चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज है जो सीमेंट बनाने के काम आता है; लोहा और इस्पात बनाने में तथा कागज, शक्कर, उर्वरक, कांच आदि अन्य अनेक बड़े उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है

अवर्गीकृत ग्रेड डोलोमाइट के 1402.60 लाख टन भंडार होने का अनुमान है। डोलोमाइट का उपयोग मुख्यत: इस्पात उद्योग में द्रावक तथा ऊठमसह सामग्री के रूप में होता है। कांच, उर्वरक और लोह-मिश्र धातुओं आदि के निर्माण में भी डोलोमाइट का अल्प मात्रा में उपयोग होता है।

कोयले के लगभग 850 लाख टन भंडार होने का अनुमान है। कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है।

अरूणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट युक्त कुछ लाख टन चट्टानों के छोटे भंडार होने का भी अनुमान है। ग्रेफाइट का उपयोग व्यापक रूप से कड़ा इस्पात, फांउंड्रीज और पेंसिल निर्माण में होता है।

ब्राइन का इस्तेमाल स्थानीय रूप से खाद्य नमक बनाने में होता है।

Smuggling of Opium to Pakistan

786. SHRI G. Y. KRISHNAN:
SHRI CHHITUBHAI GAMIT:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether large scale smuggling of opium into Pakistan has been from the Western border of Rajasthan;

(b) whether the operation has been so well perfected that only the parties involved in the illegal trade could decipher the coded marketing on the goods;

(c) whether any such type of case has been detected by our Customs Authorities;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) Reports received by Government do not indicate any large scale smuggling of opium into Pakistan across the Western border of Rajasthan.